

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08082021-228825
SG-DL-E-08082021-228825

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]	दिल्ली, रविवार, अगस्त 8, 2021/श्रावण 17, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 120
No. 220]	DELHI, SUNDAY, AUGUST 8, 2021/SRAVANA 17, 1943	[N. C. T. D. No. 120

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अगस्त, 2021

सं. फा. 1/55/गु.चु.नि./2016/4815.—क्रमशः दिनांक 31-03-2021 और 23-04-2021 के अधिसूचना सं. फा.1/55/गु.चु.नि./2016/3149, सं. फा.1/55/गु.चु.नि./2016/3990 के क्रम में और दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वां) की धारा 3 के अंतर्गत जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का चुनाव) नियमावली, 1974 के नियम 11 के सहित पठित के अनुसरण में उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के सभी वार्डों के सिख मतदाताओं को उनके सम्बंधित गुरुद्वारा वार्डों से सदस्यों का चुनाव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मतदान की तिथि 22 अगस्त, 2021 (रविवार) होगी। चुनाव प्रक्रिया 31 अगस्त 2021 (मंगलवार) तक या उससे पहले पूरी कर ली जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवर, प्र. सचिव (राजस्व / गुरुद्वारा चुनाव)

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS
NOTIFICATION

Delhi, the 8th August, 2021

No. F. 1/55/DGE/2016/4815.—In continuation to Notification No. F. 1/55/DGE/2016/3149, No. F. 1/55/ DGE/2016/3990 dated 31-03-2021 and 23-04-2021 respectively and in pursuance of Section 3 of Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with Rule 11 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974, Lt. Governor, Delhi hereby calls upon the Sikh Electors of all the Gurdwara Wards of National Capital Territory of Delhi to elect Members of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee in respect of their respective Gurdwara Wards. The date of poll shall be 22nd August, 2021 (Sunday). The election process shall be completed on or before 31st August, 2021 (Tuesday).

For and on behalf of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secy. (REVENUE / G.E.)